रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032022-234255 CG-DL-E-16032022-234255

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/फाल्गुन 25, 1943

No. 140| NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2022

फा. सं. बीएस/13/01/2021.—भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के साथ पठित समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से भारतीय मानक ब्यूरो अधिसूचना सं. फा.सं. बीएस/13/01/2019 तारीख 29 जनवरी 2020 में एतद्वारा संशोधन करती है। ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (1) महानिदेशक, अध्यक्ष भारतीय मानक ब्यूरो, (पदेन) मानक भवन, 9, बहादर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
- (2) विशेष सचिव या अपर सचिव और सदस्य वित्तीय सलाहकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और मंत्रालय सार्वजनिक वितरण, कृषि भवन, नई दिल्ली
- (3) विशेष सचिव या अपर सचिव सदस्य भारत सरकार, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

1838 GI/2022 (1)

(4)	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	-सदस्य
(5)	अपर सचिव और विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली	- सदस्य
(6)	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली	- सदस्य
(7)	कर्नाटक राज्य में उद्योगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग के सचिव या प्रधान सचिव	- सदस्य
(8)	मध्य प्रदेश राज्य में उपभोक्ता मामलों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग के सचिव या प्रधान सचिव	- सदस्य
(9)	प्रो. एन.एम. राजाध्यक्ष, अध्यक्ष, कन्ज्युमर गाईडन्स सोसायटी, मुंबई	- सदस्य
(10)	महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली	- सदस्य
(11)	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) से प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे नहीं) - निदेशक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल)	- सदस्य
(12)	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे नहीं) - वैज्ञानिक / इंजीनियर - जी और एसोसिएट निदेशक, ईडीपीओ, इसरो मुख्यालय, बैंगलोर	- सदस्य
(13)	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल) से प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं) – कार्यकारी निदेशक (आरडीसीआईएस), सेल	- सदस्य
(14)	प्रो. डॉ. टी. जी. सीताराम, निदेशक और प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गुवाहाटी	- सदस्य

स्मिता जी. नायर, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./693/2021-22] [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2022

F. No. BS/13/01/2021.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) read with rule 6 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, as amended from time to time, the Governing Council of the Bureau, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the amendment in the Bureau of Indian Standards Notification No. F.No. BS/13/01/2019 dated 29 January 2020, with effect from the date of publication of this Notification. The Executive Committee of the Bureau shall consist of the following members, namely:-

(1)	Director General, Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.	- Chairman (Ex-officio)
(2)	Special Secretary or Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Krishi Bhavan, New Delhi	- Member
(3)	Special Secretary or Additional Secretary to the Government of India, Department of Consumer Affairs, Krishi Bhavan, New Delhi	- Member
(4)	Joint Secretary to the Government of India, Department of Consumer Affairs, Krishi Bhavan, New Delhi	- Member
(5)	Additional Secretary and Development Commissioner, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, New Delhi	- Member —
(6)	Joint Secretary to the Government of India, Department of Commerce, New Delhi	- Member
(7)	Secretary or Principal Secretary of Department having administrative control over Industries of State of Karnataka	- Member
(8)	Secretary or Principal Secretary of Department having administrative control over Consumer Affairs of State of Madhya Pradesh	- Member
(9)	Prof. N. M. Rajadhyaksha, President, Consumer Guidance Society, Mumbai	- Member
(10)	Director General, Confederation of Indian Industry (CII), New Delhi	- Member

- (11) Representative (not below the level of Joint Secretary) from Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)-Director, CSIR National Physical Laboratory (NPL)
- Member
- (12) Representative (not below the level of Joint Secretary) from Indian Space Research Organisation-Scientist / Engineer G & Associate Director, EDPO, ISRO Headquarters, Bangalore
- Member
- (13) Representative (not below the level of Joint Secretary) from Steel Authority of India (SAIL) Executive Director (RDCIS), SAIL
- Member

(14) Prof. Dr. T.G. Sitharam, Director & professor, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology (IIT), Guwahati - Member

SMITHA G. NAIR, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./693/2021-22]